



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012023-242155
CG-DL-E-21012023-242155

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]
No. 39]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2023/पौष 30, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2023/PAUSHA 30, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 40(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पाठित धारा 128 की उपधारा (1) और (3), धारा 129 की उप-धारा (3), धारा 133, धारा 134, धारा 135 की उपधारा (4), धारा 136 की उपधारा (1), धारा 137 और धारा 138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का नाम कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2023 है।
(2) ये नियम 23 जनवरी, 2023 को प्रवृत्त होंगे।
- कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में, अनुलग्नक में, प्ररूप एओसी-5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-



सत्यमेव जयते

प्ररूप सं. एओसी-5

उस पते की सूचना जिस पर लेखा बहियां रखी जानी है

प्ररूप की भाषा

अंग्रेजी हिंदी

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 128 की उप-धारा (1) के पहले परंतुक और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 2क के अनुसरण में]

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें
* में चिह्नित सभी कालम अनिवार्य हैं

कंपनी की जानकारी

- | | |
|---|----------------------|
| 1 * कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) | <input type="text"/> |
| 2 (क) * कंपनी का नाम | <input type="text"/> |
| 2 (ख) * पंजीकृत कार्यालय का पता | <input type="text"/> |
| 3 * बोर्ड संकल्प की तारीख जिसमें लेखा बहियों को रखे जाने के पते के बारे में निर्णय लिया गया है (दिन/मास/वर्ष) | <input type="text"/> |
| 4 पता जिस पर लेखा बहियों को रखा जाना है | <input type="text"/> |
| * पता पंक्ति 1 | <input type="text"/> |
| पता पंक्ति 2 | <input type="text"/> |
| * देशांतर | <input type="text"/> |
| * अक्षांश | <input type="text"/> |
| * देश | <input type="text"/> |
| * पिन कोड/ज़िप कोड | <input type="text"/> |
| * क्षेत्र/इलाका | <input type="text"/> |
| * शहर | <input type="text"/> |
| * जिला | <input type="text"/> |
| * राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | <input type="text"/> |

5 उस पुलिस स्टेशन से संबंधित विवरण जिसके अधिकार क्षेत्र में उस पते का स्थान जिस आता है पर लेखा पुस्तकें रखी जानी हैं

पुलिस स्टेशन का नाम

पता

* पता पंक्ति 1

पता पंक्ति 2

*देश

* पिन कोड/जिप कोड

*क्षेत्र/इलाका

*शहर

*जिला

*राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

संलग्नक

(क) *पते का प्रमाण (वाहन/पट्टा विलेख/ किराया रसीदों के साथ किराया अनुबंध आदि के साथ) पट्टे पर ली गई या किराए की संपत्ति के मामले में मानक एनओसी के साथ

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

(ख) *उपयोगिता बिलों की प्रतियां (दो महीने से अधिक पुरानी नहीं)

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

(ग) *बाहरी भवन को दर्शाने वाले पंजीकृत कार्यालय की फोटो और दूसरा कार्यालय के अंदर, जिसमें कम से कम एक निदेशक / केएमपी जिसने इस प्ररूप पर अपना डिजिटल हस्ताक्षर किया है को दर्शाया गया हो

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

(घ) वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

घोषणा

मुझे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव संख्या दिनांक (दिन/मास/वर्ष) के माध्यम से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषणा करने का अधिकार दिया गया है कि इस प्रपत्र की विषय वस्तु और

उसके आनुषंगिक मामलों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

में यह भी घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है जिसमें इस प्ररूप के संलग्नक शामिल हैं और कोई भी सामग्री छिपाई नहीं गयी है।

* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होने के लिए

डीएससी बॉक्स

* पदनाम

(निदेशक/प्रबंधक/ कंपनी सचिव / सीएफओ / सीईओ)

* निदेशक की पहचान संख्या; या प्रबंधक या सीईओ का डीआईएन या पैन या सीएफओ; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

सेव करें

जमा करें

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए दंड और झूठे सबूत के लिए सजा का प्रावधान करते हैं।

यह ई-प्ररूप इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल पर और कंपनी द्वारा दिए गए सही होने के बयान के आधार पर लिया गया है

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-प्ररूप फाइलिंग की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

[फा. सं. 1/19/2013-सीएल-V- भाग III]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 239 (अ), तारीख 31 मार्च, 2014 के द्वारा प्रकाशित किये गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 624 (अ), तारीख 5 अगस्त, 2022 द्वारा इनमें अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2023

G.S.R. 40(E).—In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (3) of section 128, sub-section (3) of section 129, section 133, section 134, sub-section (4) of section 135, sub-section (1) of section 136, section 137 and section 138 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Accounts) Rules, 2014, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Accounts) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force with effect from 23rd January, 2023.

2. In the Companies (Accounts) Rules, 2014, in the Annexure, substituted, namely:—

Form No. AOC-5



for Form No. AOC-5, the following Form shall be

Form language

English

Hindi

Notice of address at which books of account are to be maintained

[Pursuant to first proviso to sub-section (1) of section 128 of the Companies Act, 2013 and Rule 2A of Companies(Accounts) Rules, 2014]

*Refer instruction kit for filing the form
All fields marked in * are mandatory*

Company Information

1 *Corporate Identity Number (CIN)	<input type="text"/>
2 (a) *Name of the Company	<input type="text"/>
2 (b) *Registered office address	<input type="text"/>
3 *Date of board resolution wherein a decision regarding address at which books of account are to be maintained has been taken (DD/MM/YYYY)	<input type="text"/>
4 Address at which the books of account are to be maintained	
*Address Line 1	<input type="text"/>
Address Line 2	<input type="text"/>
*Longitude	<input type="text"/>
*Latitude	<input type="text"/>
*Country *Pin Code/Zip code	<input type="text"/>
*Area/Locality	<input type="text"/>
*City	<input type="text"/>
*District	<input type="text"/>
*State/UT	<input type="text"/>

5 Details pertaining to police station under whose jurisdiction the place of the address at which the books of account are to be maintained falls

Police station name

Address

*Address Line 1

Address Line 2

*Country

*Pin Code/Zip code

*Area/Locality

*City

*District

*State/UT

Attachments

(a) *Proof of address (Conveyance/Lease deed/ Rent Agreement etc. along with the rent receipts) along with standard NOC in case of Leased or rented property

Max 2 MB	Choose	Remove	Download
----------	--------	--------	----------

(b) *Copies of the utility bills (not older than two months)

Max 2 MB	Choose	Remove	Download
----------	--------	--------	----------

(c) *Photograph of registered office showing external building and second will be inside office also showing therein at least one director/ KMP who has affixed his/her digital signature to this form

Max 2 MB	Choose	Remove	Download
----------	--------	--------	----------

(d) Optional attachment(s), if any

Max 2 MB	Choose	Remove	Download
----------	--------	--------	----------

Declaration

I am authorised by the Board of Directors of the Company vide resolution no Dated (DD/MM/YYYY) to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made there under in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with.

I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

* To be digitally signed by

DSC BOX

* Designation

(Director/Manager/Company Secretary/CFO/ CEO)

* Director identification number of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the Company Secretary

Save

Submit

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company

For office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

[F. No. 1/19/2013-CL-V-Part III]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 239(E), dated the 31st March, 2014 and lastly amended, *vide* number G.S.R. 624(E), dated the 5th August, 2022.